

## HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt. No. D/ 192  
III-10-40/78 -VIII

Jabalpur, dated 05.01.2019

The copy of Rajpatra dated 02.11.2018 containing Notification issued u/s 12(1) of Civil Court Act, 1958, is forwarded to :-

1. The Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Bhopal for information,
2. The District and Sessions Judge **Harda**,
3. District Judge, (Inspection), High Court Premises Jabalpur, JE-1, Judges Enclave, Resident Area, Indore, /28-B Race Course, Near Mela Ground Gwalior,
4. The Principal Registrar/OSD, Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur,
5. Registrar (J-I)/ (J-II)/ (D.E.)/ (W&I)/ (A)/ (I&L)/ (Examination and Labour Judiciary)/ IT/ Registrar & Secretary, M.P. Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
6. P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordships,
7. P.S. to Hon'ble Shri Justice .....
8. P.S. to Registrar General/Principal Registrar(Judl.)/Principal Registrar (Vigilance),/Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
9. P.A. to Director/Additional Director JOTRI, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
10. D.R. Confidential, Section Officer Checker/ Work Section/ Budget/ D.E. High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
11. Computer Operator, Confidential Section High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
12. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01.03.2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01.03.2018.

for information & appropriate action.

  
(B.P. SHARMA)  
REGISTRAR (DE)

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2018—कार्तिक 11, शक 1940

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2018

क्र. एफ 5-12-2017-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री अशोक कुमार जोशी, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नलिखित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 4-9-2018 से दिनांक 07-9-2018 तक	04 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 एवं 3 सितम्बर 2018 तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 8 एवं 9 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

6883

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

फा. क्र. 1 (सी) 4006-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला इन्दौर के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री विशाल आनंद श्रीवास्तव, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./1354/99, दिनांक 26 मई 2014) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री विशाल आनंद श्रीवास्तव, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 25 मई 1973 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री विशाल आनंद श्रीवास्तव, अधिवक्ता, इन्दौर को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) 3841-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव।

### विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र. 5134-2018-इक्कीस-ब (एक)

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2018

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2018

क्र. तीन-10-40-78 (भाग-आठ).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी/4666/तीन-10-40-78-सात, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 20 सिविल जिला हरदा तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

#### सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिलों का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	हरदा	हरदा	3	हरदा	3	हरदा	4
				खिरकिया	1	टिमरनी	1

No. III-10-40-78-VIII.—In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh No. C/4666/III-10-40/78-VII, dated 18th November, 2016, issued in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958), which was published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 16th December, 2016 following amendment is made. In the said notification in the table for the serial number 20 Civil District Harda the following entries are substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges (Class-I)		Court of Civil Judges (Class-II)	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Harda	Harda	3	Harda	3	Harda	4
				Khirkhya	1	Timarni	1

गंगाचरण शर्मा, अतिरिक्त सचिव।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
वरुण पुनासे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.)